FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		प्रकाश भाई पुत्र रुप किशोर जी चौहान जाति–राजपूत, निवासी–झण्डा गली, आर.एम.जी.बी. बैंक के सामने, सरुपगंज तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) फर्मः कामधेनू डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज तहसील– पिण्डवाडा, जिला–सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्याः 03/2021

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
18.1.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त प्रकाश भाई के विरुद्ध आज दिनांक 18.1.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2010 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी प्रकाश भाई पुत्र रुप किशोर जी चौहान, जाति– राजपूत, निवासी– झण्डा गली, आर.एम.जी. बी. बैंक के सामने, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कामधेनू डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, जिला– सिरोही इस न्यायालय में आज दिनांक 18.1.2021 को स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी प्रकाश भाई को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी प्रकाश भाई ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 16.10.2020 को जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। यह कि जो पनीर जांच हेतु लिया था वह मैनें गांव के पशुपालकों से लिया था। मैनें मेरी ओर .....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:27 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 03 /2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

से इसमें कुछ नही मिलाया था। भविष्य में पशुपालकों द्वारा लाये गये दूध को अच्छी तरह चैक करके ही लूंगा। यह मेरी प्रथम गलती है, भविष्य में दुबारा गलती नही करुंगा। कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक पनीर का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 16.10.2020 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी प्रकाश भाई पुत्र रुप किशोर जी चौहान, जाति– राजपूत, निवासी– झण्डा गली, आर.एम.जी.बी. बैंक के सामने, सरुपगंज, तहसील पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को पनीर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म कामधेनु डेयरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए डेयरी के अन्दर फ्रिज में सतह की ट्रे में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 5 किलोग्राम में में एक किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-11[illegible] को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./506/Act/2020/506 दिनांक 28.10.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रकाश भाई द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

.....लगातार

18/1/2021

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:27 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 03 /2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी प्रकाश भाई पुत्र रुप किशोर जी चौहान, जाति– राजपूत, निवासी– झण्डा गली, आर. एम.जी.बी. बैंक के सामने, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फ़र्म कामधेनु डेयरी, झण्डा गली, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 8,000/– (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी प्रकाश भाई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.2.2021 को पेश हो। 18/1/2021 **(गितेश श्री मालवीया)** **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:27 IST
Reason: SelfAttested